भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 636

07 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

'सेल' के कर्मचारियों के वेतन संबंधी मुद्दे का समाधान

636. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में अधिशासी तथा अनाधिशासी वर्ग को वेतन समझौता 2017 में कितने प्रतिशत न्यूनतम गारंटी लाभ (एमजीबी) तथा कितने प्रतिशत अलग-अलग (वेरयेबल फर्कस) सुविधाएं मिली है;

(ख) एक ही संगठन में अधिशासी तथा अनाधिशासी कर्मियों के वेतन वृद्धि के पैटर्न को अलग-अलग रखने के क्या कारण है; और

(ग) अधिशासी तथा अनाधिशासी वर्ग को अलग-अलग न्यूनतम गारंटी लाभ तथा सुविधाएं दिये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क): वेतन संशोधन, 2017 के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों द्वारा प्राप्त न्यूनतम गारंटी लाभ (एमजीबी) अर्थात् फिटमेंट लाभ और परिवर्तनीय परिलब्धियों की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

i. **कार्यपालक:** फिटमेंट लाभ मूल वेतन+महंगाई भत्ते का 15% है और परिवर्तनीय परिलब्धियाँ संशोधित मूल वेतन के 35% की दर से है।

ii. **गैर-कार्यपालक:** फिटमेंट लाभ मूल वेतन+ महंगाई भत्ते का 13% है और परिवर्तनीय परिलब्धियाँ संशोधित मूल वेतन के 26.5% की दर से है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के कार्यपालक कर्मचारियों और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए 2017 का वेतन/मजदूरी संशोधन लागू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग): एक ही संगठन में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतन/मजदूरी वृद्धि पैटर्न, न्यूनतम गारंटी लाभ और परिलब्धियों के कारण निम्नवत् है:-

- कार्यपालक कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि पैटर्न, फिटमेंट लाभ और परिलब्धियों को डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया है। गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में डीपीई के दिनांक 24.11.2017 के का.ज्ञा. सं. डब्ल्यू-02/0015/2016-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XXIV/17 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार और इस्पात के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस), प्रबंधन और संघ के प्रतिनिधियों से युक्त शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय मंच के स्तर पर किए गए सामूहिक बातचीत और तत्पश्चात् किए गए एमओयू के अनुसार निर्णय लिया गया है।
- गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए वर्ष 2017 का वेतन संशोधन 5 वर्षों के बाद किया गया है और कार्यपालक कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 10 वर्षों के बाद किया गया है क्योंकि गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए पिछले दो वेतन संशोधन वर्ष 2007 और 2012 में किए गए थे, जबकि कार्यपालक कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2007 से 10 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2007 में किया गया था।

*****